

डॉ. सुधीर कुमार
उप महानिदेशक (विस्तार),
उपाध्यक्ष, रा.भा.का.स.
Dr. Sudhir Kumar
DDG (Ext),
Vice Chairman, OLIC



दूरभाष: 0135-2224830(का.)(0)
फैक्स नं./Fax.No. 0135-2750693
ई-मेल/E-mail: ddg_extn@icfre.org

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
पो.ओ. न्यूफॉरेस्ट देहरादून- 248 006 (उत्तराखण्ड)

INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION

(An Autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

P.O. New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

सं. 8-25/2024/स.म.नि.(मी. व वि.)/ भा.वा.अ.शि.प./राजभाषा नीति-आदेश/

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 में हिन्दी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों और महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय एवं समस्त संस्थानों/केन्द्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि सभी प्रकार के ई-मेल अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में ही प्रेषित किए जाएं।

यह कार्यालय ज्ञापन महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

In compliance with the targets prescribed for Hindi correspondence under the Annual Programme 2025-26 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, and in pursuance of the decisions taken in the meeting of the Official Language Implementation Committee under the chairmanship of the Director General, ICFRE, it is hereby informed to all Officers/Staff of ICFRE HQ and Institutes/Centres that all types of e-mails shall mandatorily be sent in Hindi or in bilingual (Hindi-English) format only.

This Office Memorandum is issued with the approval of DG, ICFRE.

(डॉ. सुधीर कुमार/Dr. Sudhir Kumar)

मानक वितरण/Standard Distribution